मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते है। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश उत्पाद एवं प्रभाव और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है जिसमें छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद, आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति तथा केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र, बैंगलुरू शामिल है।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2015-16 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 7,42,012 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.5 *प्रतिशत* को दर्शाती है। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 55.9 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 51.0 *प्रतिशत* हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 4.29 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2.58 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2.80 लाख करोड़ हो गया।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में 360.55 लाख से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 398.04 लाख हो गई, इसमे 10.4 *प्रतिशत* वृद्धि दर्ज की गई है।

निगमित निर्धारितियों की संख्या 1.9 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6.75 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.88 लाख हो गई।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 7.05 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3.39 लाख (48.06 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया था जिससे निपटान दर में कमी आई।

बकाया मांग वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 7.00 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 8.24 लाख करोड़ हो गईं। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 97.3 *प्रतिशत* से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2.32 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.95 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 5.16 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि वि.व. 2014-15 मे ₹ 1.9 लाख करोड़ (77,448 मामले) से बढ़कर वि.व. 2015-16 में ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में उन यूनिटों में जिनमें वि.व. 2015-16 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी, 2.28 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से हमने 2.19 लाख मामलों की जांच की। इसके अलावा, हमने वि.व. 2015-16 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों मे पूरे किए गए 0.25 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वि.व. 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.18 लाख (7.3 *प्रतिशत*) मामलों में गलतियाँ थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 463 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है जिन्हें अध्याय III तथा IV में शामिल किया गया है। इनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने 20 दिसम्बर 2016 तक 298 मामले (89 *प्रतिशत)* स्वीकार कर लिए जबकि इसने 37 मामले स्वीकार नहीं किए। शेष मामलों मे मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिए। इसके अलावा ''छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद'' पर एक दीर्घ पैरा अध्याय V में शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में दो विषय 'आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति तथा 'केंद्रीकृत संसाधन केंद्र, बैंगलुरू' पर विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर भी चर्चा की गई है जिन्हे क्रमश अध्याय VI तथा VII में शामिल किया गया है।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 तक 48,106 मामले इक्ठ्ठे हो गए जिनमें ₹ 72,391.68 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा निर्धारणों में बताई गई त्रुटियों में परिशोधन से सृजित मांग से वि.व. 2015-16 में ₹ 525.68 करोड़ की वसूली की।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,230.72 करोड़ के कर प्रभाव के 2,074 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 3,298.93 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 1,442.94 करोड़ (105 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 1,433.82 करोड़ (145 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 245.44 करोड़ (47 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 176.73 करोड़ (23 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित 136 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 460.70 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 107.27 करोड़ (68 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 63.28 करोड़ (38 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 15.02 करोड़ (21 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 275.13 करोड़ (नौ मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 0.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले सात मामलों के बारे में भी बताया है।

अध्याय V: छद्म कम्पनियों/हवाला प्रचालकों द्वारा अवास्तविक बिक्री तथा खरीद

यह उन अवास्तविक संव्यवहारों के सम्बन्ध में है जो फर्जी प्रविष्टि प्रदाताओं तथा उनके लाभार्थियों के बीच हुए थे जिसके कारण बेहिसाबी आय का सृजन हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयकर विभाग तथ्यों की स्वत: विस्तृत जांच करने हेतु अपने अधिकार में आने वाले विभिन्न साधनों का प्रभाविकता से उपयोग करने तथा गंभीर आर्थिक दोषियों का पता लगाने के लिए संवीक्षा हेतु मामले को उठाने में विफल रहा।

अध्याय VI: आयकर निदेशालय (संरचना) की कार्यपद्धति

हमने निदेशालय/प्र. सीसीआईटी द्वारा संरचनात्मक कार्यों की योजना तथा कार्यान्वयन में कमियों के बारे में बताया है। सीसीआईटी ने सभी पहलुओं में पूर्ण भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा जिसके परिणामस्वरूप

अनुमोदन लेने में विलम्ब हुआ। ऐसे मामले देखे गए जहां कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि अधिग्रहित भूमि निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता भूमि के अधिग्रहण से पूर्व यथोचित जांच पढताल की कमी दर्शाती है। निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेने में विलम्ब हुए जिसके कारण परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए योजना तथा अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। निदेशालय द्वारा निर्माण कार्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय प्रबंधन में कमी थी। निदेशालय बजट आबंटन का पूर्ण रूप से उपयोग करने में समर्थ नहीं था यद्यपि कार्यालय जगह की कमी थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निधि खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन नहीं दिया था तथा पट्टा विलेख के नवीनीकरण के बिना ही पट्टा किराया का भुगतान किया जा रहा था।

अध्याय VII: केंद्रीकृत संसाधन केंद्र, बैंगलुरू

हमने टीडीएस की प्रस्तुत आय के साथ मिलान से संबंधित बिजनस रूल्स में त्रुटि के बारे में बताया है। सीपीसी की पूर्ण क्षमताओं, जैसेकि मांग/प्रतिदाय सूचना प्राप्त करने हेतु एएसटी-सीपीसी इंटरफेस, एओ के पास उपलब्ध सूचना का रिटर्नों के संसाधन मे उपयोग नहीं करना, पिछले वर्षों के आईटीआर को सम्बद्ध नहीं करना जिसके कारण अधिक कटौती हुई, का 'संसाधन' की परिभाषा न बदलने के कारण लाभ नहीं उठाया गया। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सम्मत प्रक्रियाओं से विचलन देखे गए थे। इनमें से एक विचलन टीडीएस/कर भुगतान दावों के मिलान से संबंधित था जिसके परिणामस्वरूप कर क्रेडिट का मिलान न होने के कारण अधिक संशोधन हुआ। मास्टर सर्विस करार का उल्लंघन करते हुए संशोधन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। सर्विस लेवल करार (एसएलए) मेट्रिक्स फिजिकल आईटीआर के संसाधन के संबंध में वि. व. 2012-13 के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। हालांकि आईटीआर की ई-फाइलिंग की संख्या में प्रक्षेपित की तुलना में वृद्धि हुई थी, तथापि, एसएलए में संशोधन नहीं किया गया और एसपी के निष्पादन की मूल लक्ष्यों के साथ तुलना जारी रही।